तारांकित प्रश्न क्रमांक 4306 द्वारा श्री हर्ष यादव, मान. सदस्य विधानसभा

(308) 246

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–20/2016/29–1 भोपाल, दिनांक : 25/03/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–रबी विपणन वर्ष 2017–18 में गोदाम स्तर पर गेहूँ खरीदी केन्द्र स्थापित किया जाना।

संदर्भः–इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र एफ 5–20/2016/29–1 दि0 04.02.2017, दिनांक 16.03.2017 एवं परिपत्र कमांक एफ 3–34/2016/29–2 दि0 31.12.2016

––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित कार्य वृहद रूप से किया जाता है। जिसमें परिवहन व्यय में बचत एवं गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से 15 कि0मी0 की परिधि में स्थित समितियों को संबद्ध कर गोदाम स्तर पर खरीदी केन्द्र स्थापित करने की कार्य योजना बनाई गई है। जिसके बिन्दु कमांक–07 में गोदाम मालिकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 01 प्रतिशत कमीशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2/ उक्त अनुसार गोदाम मालिक के दायित्व में निम्नानुसार संशोधित किये जाते हैः–

- संबंधित समिति से बारदाना प्राप्त कर, छापा लगाना एवं हिसाब रखाना।
- कृषकों से प्राप्त गेहूँ की/तुलाई/सिलाई/भराई/थप्पी लगाई एवं परिवहन कर गोदाम तक संग्रहण करना।
- शासन से मिलने वाला प्रासंगिक व्यय निर्धारित प्रकिया अनुसार गोदमा मालिक को दिया जाये एवं गोदाम स्तर का परिवहन भी गोदाम मालिक को दिया जाये।
- कृषकों से लिये जा रहे गेहूं की गुणवत्ता का दायित्व भी गोदाम संचालक का होगा।
- श्रमिकों को कार्य करने हेतु उचित व्यवस्था करेगा।
- पीने का पानी एवं शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था करेगा।
- कृषकों को बैठने हेतु टेन्ट आदि की व्यवस्था करेंगे।
- जे0व्ही0एस0 गोदामों के तहत सेवाओं में कमी पाये जाने पर कटौत्रा निर्धारित दर से किया जायेगा।

3/ उक्त अनुसार **उपार्जन समितियों के दायित्व** में निम्नानुसार होंगे :–

- उपार्जन समितियां ऑन लाईन पंजीयन अनुसार शेड्युल तैयार कर कृषकों को एस0एम0एस करेंगी।
- ऑनलाईन व्यवस्था अनुसार कृषकों को भुगतान करेंगी।
- तुलाई हेतु आये कृषकों के ऑनलाईन देयक तैयार करेंगी।
- संग्रहण हेतु निर्धारित ऑनलाईन ट्रक चालान जारी करेंगी।
- उपार्जन केन्द्र पर बैनर एवं ऑपरेटर एवं ऑनलाईन हेतु तकनीकी आदि की पूर्ण व्यवस्था करेंगी।
- कारपोरेशन से बारदाना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार गोदाम संचालक को उपलब्ध कराना।

277

115

309

4/ संदर्भित परिपत्र दिनांक 04.02.2017 के बिन्दु कमांक 08 में समिति को देय परिवहन व्यय गोदाम संचालक को दिया जायेगा। शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी।

5/ उपरोक्तानुसार व्यवस्था हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा गोंदाम मालिक एवं उपार्जन समितियों की आपसी सहमति पर उक्त कार्य कराया जावे।

कृपया उक्त अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
25/3/2017
(बी.के. चन्देल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्रमांक एफ 5–20/2016/29–1 **भोपाल, दिनांक : 25/03/2017**

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु/पालनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय खाद्य मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदश, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

25/3/2017
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग